



राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 5(13)रा.आ./स्था./स.बै.अ./2018/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 5 (13) रा.आ./स्था./स.बै.अजमेर/2018/2067-2080 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 89 (9)एफडी/सीपी/2003 जयपुर दिनांक 18.05.2012 की अनुपालना में एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 2023-2038 दिनांक 12.09.2023 की पालना में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बैंच, अजमेर में दिनांक 26.09.2023 से कार्य प्रारम्भ करने एवं अजमेर संभाग से सम्बन्धित जिला (अजमेर, ब्यावर, केकडी, नागौर, डीडवाना-कुचामन एवं शाहपुरा) एवं आदेश क्रमांक 915-930 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा जिला आयोग, टोंक को अजमेर संभाग में सम्मिलित किये जाने से राज्य आयोग से सम्बन्धित उद्भूत होने वाले मूल प्रकरणों/अपीलों तथा समय-समय पर माननीय अध्यक्ष, राज्य आयोग, जयपुर के विशिष्ट आदेशों द्वारा स्थानान्तरित प्रकरणों की सुनवाई किये जाने के आदेश जारी किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा जिला भीलवाडा को अजमेर संभाग में सम्मिलित किये जाने से निर्देशानुसार, जिला भीलवाडा के राज्य आयोग से संबंधित उद्भूत होने वाले मूल प्रकरणों/अपीलों एवं राज्य आयोग, जयपुर मुख्यालय पर लम्बित समस्त अपीलें एवं लम्बित समस्त प्रकार के प्रकरणों तथा समय-समय पर विशिष्ट आदेशों द्वारा स्थानान्तरित मामलों की सुनवाई राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बैंच, अजमेर द्वारा की जायेगी। शेष पूर्व आदेश यथावत रहेंगे।

Sd/-
(राजेश गुप्ता)

रजिस्ट्रार

क्रमांक:-एफ 5(13)रा.आ./स्था./स.बै.अ./2018/3373-3387
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 14-11-2025

- 1 निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 माननीय सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 4 जिलाधीश/संभागीय आयुक्त, अजमेर।
- 5 निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर (राज.)।
- 6 प्रभारी अधिकारी, राज्य आयोग बैंच जोधपुर, सर्किट बैंच-कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं अजमेर।
- 7 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त (राज.)।
- 8 निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 9 उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 10 रीडर बैंच नम्बर 1, 2 एवं 3 राज्य आयोग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अजमेर संभाग के भीलवाडा जिले से संबंधित प्रकरणों में आदेश दिनांक 24.09.2025 के अनुसार आगामी तिथियाँ अंकित की जावे।
- 11 अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसियेशन, जयपुर।
- 12 अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- 13 अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, जिला न्यायालय, अजमेर, ब्यावर, केकडी, नागौर, डीडवाना-कुचामन, शाहपुरा टोंक एवं भीलवाडा।
- 14 प्रभारी, कॉजलिस्ट/न्यायिक शाखा, प्रस्तुतीकरण शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 15 रक्षित पत्रावली।

Sd/-
(राजेश गुप्ता)
रजिस्ट्रार

14.11.2025